

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवार्य, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:—नर्सिंग/नर्स-2(F)/एस-62/2019/ दिनांक:—

प्रधानाचार्य,
सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं
नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय,
जयपुर।

विषय:— श्रीमती सपना पारीक, नर्स-2 के अवैतनिक अवकाश प्रकरण बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमती सपना पारीक, नर्स-2 के आवेदन पत्र दिनांक 06.11.2017 को अपने पत्र दिनांक 07.11.2017 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है जिसमें निदेशालय के आदेश दिनांक 22.03.2017 का सन्दर्भ देते हुए कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि प्रदान किए जाने का उल्लेख किया गया है लेकिन साथ ही अन्य अभ्यर्थियों की भांति नियुक्ति तिथि 12.02.16 मानते हुए दिनांक 12.02.16 से समस्त लाभ देते हुए छूट अवधि दिनांक 22.03.16 से 25.09.16 तक का असाधारण अवकाश स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया।

निदेशालय के परिपत्र दिनांक 17.07.17 में उल्लेखित निर्देशों के आधार पर श्रीमती सपना पारीक, नर्स-2 दिनांक 12.02.16 से 22.03.16 तक के वेतन भत्तों का भुगतान किया गया है जो कि अनियमित है तथा इसी परिपत्र के आधार पर श्रीमती सपना पारीक, नर्स-2 दिनांक 12.02.16 से 22.03.16 तक की अवधि में अपने आप को उपस्थिति मानकर शेष अनुस्थिति अवधि दिनांक 23.03.16 से 25.09.16 तक की अवधि का असाधारण अवकाश का आवेदन किया है, जबकि उक्त परिपत्र दिनांक 17.07.17 इस प्रकरण में लागू नहीं होता है।

उल्लेखनीय है कि कार्मिका द्वारा अपना पदस्थापन स्थान पर दिनांक 26.09.16 को उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें निदेशालय के आदेश दिनांक 22.03.16 द्वारा कार्यग्रहण करने में दी गई छुट का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार सपना पारीक को पदस्थापन आपके कार्यालय के आदेश दिनांक 27.09.16 में महाविद्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करने की तिथि 26.09.16 उल्लेखित की है।

इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि सपना पारीक द्वारा कार्यग्रहण में छूट आदेश के अनुरूप दिनांक 26.09.16 को ही कार्यग्रहण किया गया है इस प्रकार नियुक्ति करने की तिथि 26.09.16 होने के कारण नियुक्ति तिथि से पूर्व की अवधि का असाधारण अवकाश आवेदन पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रकरण में सपना पारीक नर्स-2 ग्रेड-द्वितीय की नियुक्ति तिथि दिनांक 26.09.16 निर्धारित की गई है।

—5x1—

संयुक्त निदेशक (एन.जी.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य
राजस्थान जयपुर

दिनांक:—03-1-2019

क्रमांक:—नर्सिंग/नर्स-2(F)/एस-62/2019/ 47

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 2- प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।

संयुक्त निदेशक (एन.जी.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्य
राजस्थान जयपुर